

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठारसीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 47/2018

तारीख दायर:- 18.09.2018

तारीख निर्णय:- 23.04.2025

1. श्रीमती सामुदेवी पुत्री देवा गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।

.....वादीया

बनाम

1. श्री नाना पिता दला गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
2. श्री भीमा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
3. श्री गमा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
4. श्री शंकरलाल पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
5. श्री कैलाश पिता जगा गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
6. श्री जगा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
7. श्री शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा झाडोल।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झाडोल।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री भंवरसिंह झाला

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोलागड पटवार क्षेत्र गोराना तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 82 में वर्णित आराजियात कित्ता 40 कुल रकबा 3.4400 है 0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजियात भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की होकर अपने-अपने हिस्से पर काबिज हो कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं दिनांक 24.02.2021 को वादीगण का वाद स्वीकार कर तहसीलदार झाडोल को विभाजन योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन योजना प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार झाडोल द्वारा दिनांक 21.02.2025 को विभाजन योजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया गया है एवं सभी पक्षकारान को



उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

लगभग-लगभग बराबर हिस्सा दिया गया है। अतः विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार कर अन्तिम डिक्री पारित फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विभाजनय योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है:-

1. श्री सामुदेवी पुत्री देवा गायरी निवासी जोलागड

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रूपये)
1	2766	0.11	
2	2830	0.16	
3	2999 में से पश्चिमी हिस्सा	0.05	
4	3037	0.36	
5	3133	0.05	
6	3135	0.07	
7	3212	0.01	
8	3213	0.06	
9	3270 में से उत्तरी हिस्सा	0.0250	
10	3264	0.02	
11	3265	0.02	
12	3266	0.02	
13	3274	0.02	
14	3275	0.02	
15	3278 में से उत्तरी हिस्सा	0.09	
16	3344	0.08	
17	3347	0.07	
18	3365	0.09	
19	3371 में से दक्षिणी हिस्सा	0.07	
20	3195	0.06	
21	4566 / 3036	0.15	

2. भीमराज पुत्र नाना 1/9, गणेशलाल पुत्र नाना 1/9, जगनाथ पुत्र नाना 1/9, शंकरलाल पुत्र नाना 1/9, उदीबाई पुत्री नाना 1/9, मंगुबाई पुत्री नाना 1/9, लीलाबाई पुत्री नाना 1/9, ओमप्रकाश पुत्र रोडीलाल 1/36, डालीबाई पुत्री रोडीलाल 1/36, रुकमणी बाई पुत्री रोडीलाल 1/36, गणेशीबाई पुत्री रोडीलाल 1/36, पेपीबाई पत्नी नाना 1/9 सा. देह खातेदार



उपखण्ड अधिकारी
झांझार, जिला-उदयपुर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रूपये)
1	2767	0.09	
2	2831	0.10	
3	3038	0.28	
4	3132	0.05	
5	3134	0.07	
6	2999 में से पूर्वी हिस्सा	0.13	
7	3197	0.03	
8	3198	0.06	
9	3371 में से उत्तरी हिस्सा	0.07	
10	3217	0.01	
11	3218	0.06	
12	3262	0.04	
13	3263	0.02	
14	3270 में से दक्षिणी हिस्सा	0.1050	
15	3276	0.02	
16	3343	0.10	
17	3346	0.05	
18	3370	0.06	
19	3278 में से दक्षिणी हिस्सा	0.25	

3. शामलाती भूमि खसरा संख्या 4564/3046 बिना रहन तथा सामु पुत्री देवा का हिस्सा छोडकर रहन एसबीबीजे शखा झाडोल

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रूपये)
1	2998	0.01	
2	3244	0.01	
3	4564 / 3046	0.16	
4	4565 / 3053	0.07	

एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर निर्णय व डिक्री एवं नक्शा ट्रेस की प्रति राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम हेतु तहसीलदार झाडोल को भिजवाई जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल कुमार कोठारी)
उपपरवण्ड अधिकारी
झाडीकोबिलिडडयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 47/2018

1. श्रीमती सामुदेवी पुत्री देवा गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
.....वादी

बनाम

1. श्री नाना पिता दला गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
2. श्री भीमा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
3. श्री गमा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
4. श्री शंकरलाल पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
5. श्री कैलाश पिता जगा गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
6. श्री जगा पिता नाना गायरी निवासी जोलागड (गायरियावास) तहसील झाडोल।
7. श्री शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा झाडोल।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झाडोल।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री फतहलाल सुथार

प्रतिवादी की ओर से- श्री दिलीप भामावत

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है निम्नानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है-

1. श्री सामुदेवी पुत्री देवा गायरी निवासी जोलागड

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रूपये)
1	2766	0.11	
2	2830	0.16	
3	2999 में से पश्चिमी हिस्सा	0.05	
4	3037	0.36	
5	3133	0.05	
6	3135	0.07	
7	3212	0.01	
8	3213	0.06	
9	3270 में से उत्तरी हिस्सा	0.0250	
10	3264	0.02	
11	3265	0.02	
12	3266	0.02	



उपखण्ड अधिकारी,
झाडोल, जिला-उदयपुर

13	3274		
14	3275	0.02	
15	3278 में से उत्तरी हिस्सा	0.02	
16	3344	0.09	
17	3347	0.08	
18	3347	0.07	
19	3365	0.09	
20	3371 में से दक्षिणी हिस्सा	0.07	
21	3195	0.06	
21	4566 / 3036	0.15	

2. भीमराज पुत्र नाना 1/9, गणेशलाल पुत्र नाना 1/9, जगनाथ पुत्र नाना 1/9, शंकरलाल पुत्र नाना 1/9, उदीबाई पुत्री नाना 1/9, मंगुबाई पुत्री नाना 1/9, लीलाबाई पुत्री नाना 1/9, ओमप्रकाश पुत्र रोडीलाल 1/36, डालीबाई पुत्री रोडीलाल 1/36, रुकमणी बाई पुत्री रोडीलाल 1/36, गणेशीबाई पुत्री रोडीलाल 1/36, पेपीबाई पत्नी नाना 1/9 सा. देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रूपये)
1	2767	0.09	
2	2831	0.10	
3	3038	0.28	
4	3132	0.05	
5	3134	0.07	
6	2999 में से पूर्वी हिस्सा	0.13	
7	3197	0.03	
8	3198	0.06	
9	3371 में से उत्तरी हिस्सा	0.07	
10	3217	0.01	
11	3218	0.06	
12	3262	0.04	
13	3263	0.02	
14	3270 में से दक्षिणी हिस्सा	0.1050	
15	3276	0.02	
16	3343	0.10	
17	3346	0.05	
18	3370	0.06	
19	3278 में से दक्षिणी हिस्सा	0.25	



रूपखण्ड अधिकारी
जहाज, जिला-उदयपुर

3. शामलाती भूमि खसरा संख्या 4564/3046 बिना रहन तथा सामु पुत्री देवा का हिस्सा छोडकर रहन एसबीबीजे शखा झाडोल

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान (रुपये)
1	2998	0.01	
2	3244	0.01	
3	4564 / 3046	0.16	
4	4565 / 3053	0.07	

एतदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जाकर निर्णय व डिकी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम हेतु तहसीलदार झाडोल को भिजवाई जावें।



(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल-उदयपुर